पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए पीएफआरडीए का वार्षिक सम्मान कार्यक्रम
अशोका होटल, नई दिल्ली, 21 जून 2024

माननीय डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने दिनांक 21 जून 2024 को अशोका होटल, नई दिल्ली में पीएफआरडीए द्वारा आयोजित वार्षिक एपीवाई सम्मान कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में पीएफआरडीए के अध्यक्ष डॉ दीपक महान्ती, पीएफआरडीए की पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) सुश्री ममता शंकर, अध्यक्ष एसबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष, एसएलबीसी और यूटीएलबीसी के संयोजक और बैंकिंग क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफआरडीए/डीएफएस द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं वार्षिक लक्ष्य के लिए 49 एपीवाई एसपी (बैंक), 9 एसएलबीसी और देश की पांच शीर्ष शाखाओं के साथ ही एलडीएम को सम्मानित किया गया।

डीएफएस सचिव ने मुख्य भाषण देते हुए विजेताओं को बधाई दी और सभी प्रतिभागियों से भारत को एक पेंशनयुक्त समाज बनाने के लिए उत्साहपूर्वक योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने एक पृष्ठ के एपीवाई फ्लायर/हैंडआउट से युक्त एक बुकलेट जारी करने के पीएफआरडीए के प्रयासों की सराहना की। यह हिंदी और अंग्रेजी सहित भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य सभी 21 भाषाओं में जारी की गयी है। यह सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में इस योजना की जागरूकता बढ़ाने तथा इसके व्यापक पहुंच की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। इस योजना की पहुंच देश के विभिन्न हिस्सों में सुनिश्चित करने वाले बैंकों के प्रयासों की सराहना की और बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि लोगों को अपनी वृद्धावस्था के लिए नियमित बचत करने के प्रति भी प्रेरित किया जाए।

पीएफआरडीए अध्यक्ष ने अपने विशेष संबोधन में एपीवाई के लिए बैंकिंग समाज से प्राप्त समर्थन की सराहना की। उन्होंने अटल पेंशन योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कवरेज बढ़ाने के लिए पीएफआरडीए द्वारा की गई पहलों के बारे में दर्शकों को अवगत कराया, जैसे कि अखिल भारतीय स्तर पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, प्रचार के लिए प्रिंट/डिजिटल/रेडियो और सोशल मीडिया का उपयोग करना, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लाभार्थियों के बीच एपीवाई पर जानकारी प्रसारित करने और उन्हें योजना में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों से जुड़ना। उन्होंने 2023-24 के दौरान अधिकतम संख्या में नामांकन कर्ज कराने के लिए पीएसबी और आरआरबी के योगदान की सराहना भी की।

एपीवाई को पूरे देश में व्यापक रूप से लागू किया गया है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 20 जून 2024 तक 6.62 करोड़ को पार कर गया है, जिनमें से 1.22 करोड़

से अधिक नए अभिदाता वित्त वर्ष 2023-24 में नामांकित हुए हैं *(शुरुआत के बाद से एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक)* / इस योजना ने सकल नामांकन में 24% की प्रगति वित्त वर्ष 2023-24 में हासिल की। एपीवाई देश की महिला आबादी और युवा पीढ़ी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में, कुल नामांकन में से 52% महिला अभिदाताएँ हैं और कुल सकल नामांकन में से 70% अभिदाता 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में हैं।

*****

परिशिष्ट

दिनांक 31 मार्च 2024 तक एपीवाई आंकड़े

क. <u>एपीवाई के अंतर्गत नामांकनों की संख्या का बैंक श्रेणी-वार ब्यौरा (लाख में)</u>

बैंकों की श्रेणी	**31 मार्च, 2022 तक**	**31 मार्च, 2023 तक**	**31 मार्च, 2024 तक**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	278.49	365.09	453.32
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	75.28	99.55	127.41
निजी बैंक	29.21	34.35	39.80
भुगतान बैंक	12.88	15.04	15.38
डाक विभाग	3.62	3.84	3.97
लघु वित्त बैंक	0.86	1.65	2.41
सहकारी बैंक	0.93	1.07	1.23
कुल	**401.27**	**520.58**	**643.52**

ख. <u>एपीवाई एसपी श्रेणीवार नामांकन</u>

शुरुआत के बाद से सकल नामांकन			
क्रमांक	**एपीवाई एसपी श्रेणी**	**31 मार्च 2024 (नामांकन)**	**% शेयर**
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4,53,31,241	**70.44%**

2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,27,40,171	**19.80%**
3	निजी बैंक	39,79,405	**6.18%**
4	लघु वित्त बैंक	2,41,033	**0.37%**
5	डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप बैंक	83,833	**0.13%**
6	डाक विभाग	3,97,744	**0.62%**
7	भुगतान बैंक	15,38,886	**2.39%**
8	राज्य सहकारी बैंक	9,021	**0.01%**
9	शहरी सहकारी बैंक	30,820	**0.05%**
महायोग		**6,43,52,154**	**100.00%**

ग. <u>एपीवाई के तहत नामांकन की संख्या का राज्यवार विवरण</u>

**अभिदाता के डाक पते/पिन कोड के आधार पर*

क्रमांक	**राज्य का नाम**	**एपीवाई के तहत नामांकन की संख्या (लाखों में)**
1	उत्तर प्रदेश	103.33
2	बिहार	62.26
3	महाराष्ट्र	51.26
4	पश्चिम बंगाल	49.20
5	तमिलनाडु	43.70
6	मध्य प्रदेश	38.07
7	राजस्थान	34.88
8	आंध्र प्रदेश	33.84
9	कर्नाटक	32.89
10	गुजरात	23.57
11	ओडिशा	23.53
12	झारखंड	19.42
13	अन्य राज्य	127.57
कुल नामांकन		**643.52**

देश भर में एपीवाई नामांकन में वृद्धि हुई है। राज्यवार वितरण में उपर्युक्त **12** राज्यों की हिस्सेदारी कुल एपीवाई नामांकन में **80%** से अधिक है।

घ. <u>एपीवाई अभिदाताओं का लिंगवार विवरण</u>

लिंग के अनुसार			
क्रमांक	**लिंग**	**प्रान संख्या**	**प्रतिशतता**
1	महिला	2,99,76,357	46.58%
2	पुरुष	3,43,57,344	53.39%
3	ट्रांसजेंडर	18,453	0.03%
	कुल	**6,43,52,154**	

ङ. <u>एपीवाई अभिदाताओं का आयुवार विवरण</u>

आयुवार			
क्रमांक	**आयु सीमा**	**प्रान संख्या**	**प्रतिशत**
1	18 से 20 वर्ष के बीच	1,12,12,250	17.42%
2	21 से 25 वर्ष के बीच	1,78,80,857	27.79%
3	26 से 30 वर्ष के बीच	1,57,51,482	24.48%
4	31 से 35 वर्ष के बीच	1,23,63,485	19.21%
5	35 वर्ष से अधिक	71,44,080	11.10%
	कुल	**6,43,52,154**	